actionaid

Save River Save Ecology

Right of River, Right to River

Copyright ©Actionaid India 2017
Published in 2017
Produced by: Natural Resource Hub, ActionAid India
331/A, Shahid Nagar, Bhubaneswar, Odisha- 751007.
Phone: 0674-2548224,2548503

Concept :
Bratindi Jena
Biren Nayak
Priyabrata Satapathy

Design and Print by
Shree Maa Graphics, Bhubaneswar
Cell : 8249792462

PROTECT

Rights of River and Right to River

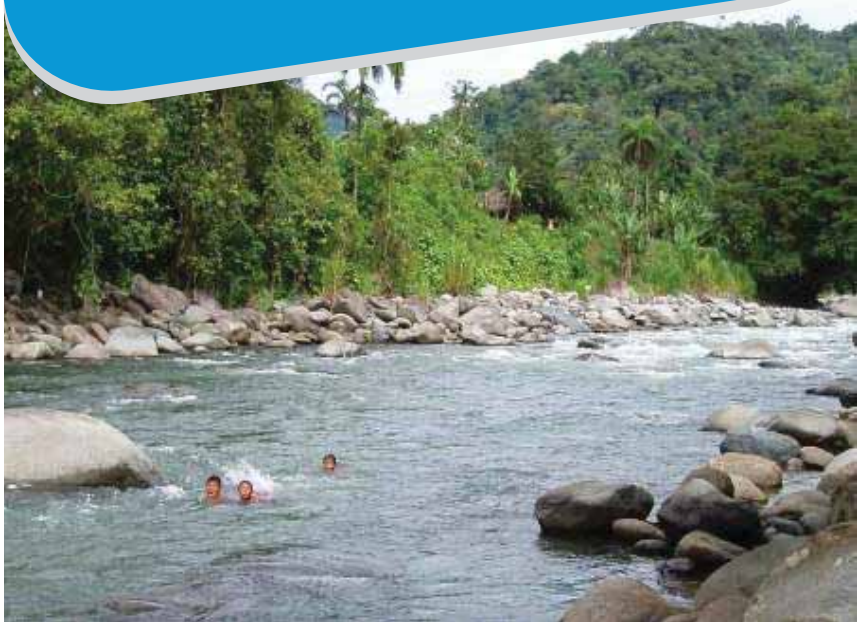

साथियों,

मानव सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ है। इतिहास गवाह है कि नदी तट पर जीवंत जीवन जीने की कला एवं संस्कृति ने ही मनुष्य को न केवल जीने की राह सुझाई है बल्कि एक जीवन शैली भी दिखाई है। धन्य हैं आप सब, और आप की अथक परिश्रम और नदी के बहाव के साथ जीवन जीने का अटूट विश्वास कि न केवल सभ्यता जीवित रही है परन्तु मानव भी।

आप से वेहतर नदी का स्वभाव और कौन जान सका है। विज्ञान चाहे जैसे भी एक नदी को परिभाषित करे, उस की 'भाषा' को आप से बेहतर कौन समझ पाया है। नदी देवी भी है और सखी भी, आप के सुख-दु:ख में आपके साथ रही है। लेकिन उससे व्यवहार में समय रहते परिवर्तन आया है, जो शायद आप के बडे-बुजुर्गों को नहीं झेलना पड़ा था। आप ने देखा होगा कि अव नदी अकसर क्रोधित हो जाती है, आप के खेतों को नष्ट करती है तो कभी आपके घरों को। ऐसा क्या हुआ कि नदी अक्सर क्रोध में रहती है ?

पर्वतों में अपने अद्‌गम से लेकर समुद्र में विलीन होने तक, नदी एक लंबा सफर तय करती है। उसके किनारे असंख्य लोग और विस्तृत समाज पनपता है। कहीं उसके वहाव को मोडा जाता है और कहीं उसके रास्ते में अडचने डाली जाती हैं। कुल मिलाकर कहें तो नदी के व्यवहार को असाधारण बना दिया गया है। और आप सभी को नदी के साथ हो रही इस छेडखानी की पुख्ता खवर कभी नहीं होती है। यह परिवर्तन इस कदर तेजी से चल रहे हैं कि नदी अपने बदलते व्यवहार से अकसर आप को चकित करती है। आप मानेगें कि ऐसे कुछ तो अवश्य आपने भी महसूस किया है।

भारत के उत्तर व उत्तर-पूर्व की नदियां बहुराष्ट्रीय हैं, वे कई देशों की सीमाओं को लांघ कर आपके क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। देश चाहे अनेक हों लेकिन समाज तो मूलत: 'एक' ही रहता है, क्योंकि वह नदी को एक जीवन शैली के रूप में देखता है और उसके वहते जल में अपने जीवन को साकार होते देखता है। इसमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।

नदी की पूरी मात्रा की जानकारी तो शायद हमें कभी न हो, लेकिन उस समाज से जो नदी की यात्रा में उसका साथ देता है हमें वावस्ता होना पड़ेगा। चाहे वो नदी के प्रारम्भ में हैं, चाहे वीच में व चाहे उसके समुद्र मिलन तक। यही वो समाज है जिसकी दिनचर्या लगभग आपके जैसी ही है। हालांकि यह और बात है कि बढ़ती लालच के कारण नदी का दोहन कुछ ज्यादा ही होने लगा। बिना आप सब के जाने राष्ट्रों ने नदी धारियों पर संधिया की हैं, नदियों पर बांध बने हैं और नहरों का सृजन किया है। ऐसे में यह कल्पना करना कि नदी अपने व्यवहार में संयम रखेगी, काफी आशावान लगता है।

इस बदलते समय में जानकारी के अभाव में जीना आत्मघाती है। आवश्यकता है कि हम जागरुक रहें नदी पर हो रहे बदलाव के, सम्पर्क में रहें नदी-किनारे बसने वाले समाजों के और चौकस रहें नदी के बदलते व्यवहार के। यह सब तभी संभव हो पायेगा जब हम नदी को इस बदलते परिवेश में समझने की ओर अग्रसर हों। हमें नदी-धारी समाज को एक पहचान देने के लिए मिल-बैठ कर सामूहिक समझ व समझी-वूझी रणनीति बनानी होगी। हमें सरकार व उसके इरादों में अपने अस्तित्व की जानकारी पहूँचानी होगी। हमें मिल कर नदी के विकास में भागीदारी तय करनी होगी। नदी के व्यवहार में विकास से हुई हानि के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। हमें यह निर्णय लेना होगा कि नदी कें संरक्षक के रूप में सरकारों की यह जिम्मेवारी बनती है कि नदी द्वारा विनाश की भरपाई एक योजनाबद्ध तरीके से की जाये।

यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर यह तय कर पायेंगें कि नदियों से हम हैं न कि नदी हम से । और हम सब की यह सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि इस सोच में एक निरन्तरता लाई जायें। नदी ही जीवन है।

निवेदक

नदी अधिकार अभियान

नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनएड एसोसिएशन, इंडिया

सम्पर्क : उपेन्द्र शुक्ला - 09919541264

मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दूरभाष : 9337412578

জল যাত্রা

প্রিয় বন্ধু

মানব সভ্যতার বিকাশ নদীর ধারেই রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে নদীর তটে মানুষের যাব জীবন বাঁচার কলা এবং সংস্কৃতই মানুষকে কেবল বাঁচার রাস্তাই দেখায়নি এমনকি এক জীবনশৈলী ও দেখিয়েছে।আপনারা সবাই ধন্য, আর আপনার কঠিন পরিশ্রম এবং নদীর প্রবাহের সাথে জীবন বাঁচার অটুট বিশ্বাস না কি কেবল সভ্যতা জীবিত রয়েছে এবং মানুষও।

আপনার চেয়ে বেশি ভালো নদীর স্বভাব আর কে জানে।বিজ্ঞান যতই যেভাবে নদীর পরিভাষা করুক,তাঁর ভাষা আপনার চেয়ে বেশি ভালো আর কে বুঝতে পেরেছে। নদী দেবীও আর সখিও, আপনার সুখে দুঃখে আপনার সাথে রয়েছে। কিন্তু সময় আস্তে ওর ব্যবহারের পরিবর্তন এসেছে,যেটা হয়তো আপনার বড় বুদ্ধিজীবীকে সহ্য করতে হয়নি।আপনি হয়তো দেখেছেন নদী মাঝে মাঝে ক্রুধিত হয়ে যাচ্ছে , আপনার শস্য ক্ষেত নষ্ট করছে তো কখন ও আপনার বাড়িঘর।এরকম কি হল যে নদী মাঝে মাঝে ক্রোধে থাকছে।

পর্বতের নিজের শুরুতে ও সমুদ্রে ব্লিন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত,নদী এক দীর্ঘ পথ তৈরি করেছে। ওর ধারে অসংখ্য মানুষ আর বিস্তৃত সমাজ গড়ে উঠেছে । কখন ও ওর প্রবাহে ঘুরে যাচ্ছে আর কখন ও ওর রাস্তার পরিবর্তন করেছে। সবকিছু মিলিয়ে যদি বলা যায় নদীর ব্যবহারকে অসাধারন বানিয়ে দিয়েছে আর আপনাদের সবার কাছে নদীর সাথে এই অবরদস্তি করা সত্যি খবর কখন ও হয়নি এই পরিবর্তন এতই তেজে চলছে যে কি নদীর নিজের বদলানো ব্যবহারে আপনার মাঝে মাঝে আশ্চর্য করে দিচ্ছে আপনি কি মানছেন কি যে এই রকম কিছু তো অবশ্য আপনি ও অনুভব করছেন।

ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বের নদীর বহুরাষ্ট্রে, এটা কিছু দেশের সীমানাকে লাগিয়ে আপনার এলাকাই প্রবেশ করেছে । দেশ ওদের হলেও সমাজ তো একটাই থাকছে, মনে করেন এটা নদীকে একটা জীবন শৈলী রূপে দেখছে আর ওর বয়ে যাওয়া জলে নিজেদের জীবনকে সফল হতে দেখতে। এটাতে আমাদের কোন সংশয় থাকা উচিত নয়ে। নদীর পুরো খবর হয়তো আমরা কখন ও পাবোনা, কিন্তু ওই সমাজে যারা নদীর এই যাত্রাই ওর সাথ দিচ্ছে সেটার আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সে ও নদীর শুরুতে থাক। মাঝখানে থাক ও ওঁর সমুদ্রে মিলিত হওয়া পর্যন্ত । এটাই ওই সমাজ যার দিনযাপন আপনার মতই । পরিস্থিতি এই যে বেশী লোভের কারনে নদীর ভাঙ্গন কিছু বেশীই হতে লেগেছে।আপনাদের কে না জেনেই রাষ্ট্র নদীতে বাঁধ তায়ীরী করেছে। এই পরিস্থিতি তে আমাদের কল্পনা করা উচিত নয়ে যে নদী নিজের ব্যবহার ঠিক রাখবে।

এটা বদলের সময়ে জানার অভাবে নিজেদের বাঁচার আত্মঘাতী হয়েছে। আবশ্যিকতা এই যে আমরা সজাগ থাকি নদীর বদলানর উপরে, নদীর ধারে বসবাস কারি সমাজের সাথে যুক্ত থাকতে আর চোখ রাখতে নদীর এই বদলানোর ব্যবহারে । এইসব তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা নদীর এই বদলানোর পরিবেশটা বুঝতে অগ্রসর হবো। আমাদের নদীর ধারের সমাজকে একটা পরিচয় দেওয়ার জন্য বসে একটা বোঝার রীতি নীতি তৈরি করতে হবে। আমাদেরকে সরকার এবং তার পরিকল্পনা তে নিজের অস্তিত্বের খবর পাহুছাতে হবে। আমাদের সবাই কে মিলে নদীর বিকাশে অংশীদার হতে হবে। নদীর ব্যবহার বিকাশে ক্ষতির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের এই নির্ণয় নিতে হবে যে নদীর সংরক্ষক হিসাবে সরকারের এই ভার নেবা উচি যে নদীর দ্বারা বিনাশের পরিপূরণের এক যোজনাবদ্ধ হিসাবে করা যেতে পারে।

এইসব তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা সবাই মিলে এটা ঠিক করতে পারবো যে নদীর জন্য আমরা, নাকি আমাদের জন্য নদী। আর আমাদের সবার এই সামান্য দায়িত্ব হচ্ছে যে এই ভাবনায় এক নিরন্তরতা আনতে হবে, "নদীই জীবন"।

নিবেদিত

নাচুরাল রিসোর্সেস নলেজ আক্টিভিস্ৎস হব, একসনএড আসোসিয়েসন, ইন্ডিয়া

সম্পর্ক- তরিকুল ইসলাম-09733081276, ভাস্বতী রায় চাউধুরী 09083111692

মুদ্রিত-বাবা প্রিন্টর্স, ভুবনেশ্বর.: 09337412578

नदी को जीबित व्यक्ति का दर्जा व सम्मान मिलें

नदी की पारिस्थितिकी तंत्र आज खतरे मैं है. पिछले २५ सालों मैं गंगोत्री ग्लेशियर ८५० मीटर्स से भी अधिक शिन्कुड चूका है. इसका मूल कारण प्रदूषण तथा जल वायु मैं बदलाव है. ग्लेशियर के विलुप्त होने से वचाने के दिशा मैं समयोचित व तुरंत पदक्षेप लेने की आवश्यकता है. बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई से वनसंपदा भी आज खतरे मैं है और पाहाड़ भी वन शुन्य हो चूका है.

प्रदूषण, विश्व तापन और जल वायु परिवर्तन के चलते नदियाँ, जंगल, झीलों, जल स्रोतों, वायु, व ग्लेशियर की अस्तित्व आज संकट मैं है. हमारे पूर्वज प्राकृतिक संपदा से भरपूर एक सुन्दर धरती हमें सौंप के गए हैं और ये हमारा नैतिक दाइत्व वनता है की हम उसको उसी सुन्दरता के साथ हमारे भविष्य की पीढी को हस्तान्तर करें. इस दिशा मैं हमारे प्रयास की कमी सायद उत्तराखंड उच्च न्यायालय को गंगा व यमुना के सुरक्षा के लिए कुच्छ पुख्ता कदम उठाने की जरुरत महसूस हुई.

इसीलिए ये सोचा गया की गंगा व यमुना नदी को जीबित व्यक्ति का दर्जा दिया जाय व सामान मिलें और उसके साथ समस्त ग्लेशियर, अन्य नदियाँ, झीलें, छोटी धाराएं, हवा, चारागाह, जंगल, आर्द्र भूमि, झरना, आदि को बचाना, तथा संरक्षण करने की आबश्यकता है.

ये इतनि महत्वपूर्ण क्यों है ?

नदी को जीबित व्यक्ति का दर्जा मिलने की ये विश्व मैं तीसरा उदाहरण है; २००८ साल मैं इक्वेडोर के संबिधान ने प्रकृति को और २०१७ मैं न्यूज़ीलैंड ने नदी को जिबीत व्यक्ति तथा कानूनन व्यक्ति का दर्जा दिया. हमारे देश मैं सिर्फ गंगा और यमुना नदी ही नहीं वल्कि इन नदियों के हिमालय मैं जलागम क्षेत्र और अन्य जल धारा को भी जीबित व्यक्ति का मान्य मिला है.

प्रकृति के विधिक अधिकार क्या है ?

मानवाधिकार और विधिक अधिकार एक समान नहीं है और विधिक अधिकार हर उस कानूनन मान्य व्यक्ति को मिलता है जिसको मनुष्य होना अनिबार्य नहीं है. नदी को जीबित व्यक्ति या कानूनन मान्य व्यक्ति का दर्जा दिए जाने से उसको अपनी अधिकार को सुरक्षित करने का हक़ मिलता है. यह अधिकार मनुष्यों को संबिधान के तहत मिलने वाली अधिकारों से कम नहीं होता और उन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता.

प्रकृति के विधिक अधिकार को कैसे लागू किया जाय ?

प्रकृति अपनी विधिक अधिकार को किस तरह से हासिल करेगी? उसकी अधीकार को सुनिश्चित करने कलिए किसी व्यक्ति को इस कार्य केलिए अभिभाबक के तौर पे नियुक्त करने की जरूरत है. एक अधिकार को कार्यान्वयन होने के लिए नदी के संरक्षक और उपयोगकारी दोनों को अपनी साझा अधिकार, दायित्व, और कर्तब्य का निर्वाहन करना होगा.

एक बड़ा असमाहित प्रश्न अभी भी है

उच्च न्यायालय ने तो इस पर एक युगांतकारी निर्णय लिया लेकिन विधि व्यवस्था द्वारा इस परिप्रेक्ष मैं जब तक अधिनियम न वने इसका कार्यान्वयन होना आसान नहीं होगा. एक अभिभाबक का क्या दाइत्व होगा? कौनसा अधिकार का कार्यान्वयन करना होगा इसका निर्णय कौन लेगा? सब निर्णय का जवाबदेहि कौन लेगा? क्या नदी प्रदूषित न होने की अपनी अधिकार को मांग सकती है? क्या नदी अविरल बहने की अपनी अधिकार पा सकती है? क्या नदी अपनी बंधने के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है?

निष्कर्ष

हम नदियों को माँ और देवी की तरह पूजते हैं लेकिन ये निश्चित है की उसके प्रति हमारा व्यवहार कभी भी पवित्र और श्रद्धाष्पद नहीं रही. शुद्ध जल प्रकृति की एक दुर्लभ देन हैं और जीव जगत के जीवन, आजीविका, पारिस्थितिकी, खाद्य सुरक्षा और सतत विकाश के लिए अत्याबश्यक है. नदी हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है और हमें उसकी सम्मान उसी तरह से करनी चाहिए. नदी तथा प्रकृति की सुरक्षा के दिशा मैं ये एक सकारात्मक शुरुवात है.

निबेदक
नदी अधिकार अभियान
नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया
सम्पर्क : उपेन्द्र शुक्ला - 09919541264

actionaid

मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स्, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

चलो अब कुछ नाम करे, नदी बचाने का काम करे

जल है तो जीवन है.. और यह जल तभी होगा जब हमारी नदियों में पानी होगा. हमारे देश में प्राचीन काल से बहुत नदियाँ बहती है. हर नदी इस देश के लिए अपना योगदान देती है. किसान इन्ही नदियों से अपनी सिंचाई करते है. इन्ही नदियों के किनारे कई शहर बसे हुए है. जिसका केंद्र ये नदियाँ ही है. भारतीय संस्कृति की गंगा का जन्म कैसे भी हुआ हो, पर मनुष्य की पहली बस्ती उसकी तट पर आबाद हुई।

हमारे देश में गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है जिसमे एक बार नहाने से सारे पाप धुल जाते है. इसलिए हमें जरुरत है की हम इन नदियों का संरक्षण करे. इन्हें विलुप्त होने से बचाए. इन नदियों को गन्दा न करे. ये नदियाँ अगर स्वच्छ रहेंगी तो अपना देश भी स्वच्छ नजर आयेगा.

भारत की सर्वाधिक महिमामयी नदी 'गंगा' माना जाता है की आकाश, धरती, पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। आकाश गंगा या स्वर्ग गंगा, त्रिपथगा, पाताल गंगा, हेमवती, भागीरथी, जाहन्वी, मंदाकिनी, अलकनंदा आदि अनेकानेक नामों से पुकारी जाने वाली गंगा हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, बिहार, पश्चिमबंग, व बांगलादेश को सिंचित करती हुई गंगासागर में समाहित हो जाती हैं।

गंगा नदी 2,523 किलोमीटर की अपनी लम्बी यात्रा के दौरान ऐसे कई बड़े शहरों से होकर गुजरती है, जहां की आबादी का घनत्व बहुत अधिक है और यहां बेशुमार कारखाने व फैक्टरियां हैं, जो गंगा में बढ़ते रहे प्रदूषण का कारण है। गंगा हमारे देश की जल संपदा की प्रतीक है। गंगा यानी नदी, जो सिर्फ जलराशि नहीं, जीवनदायिनी है। लेकिन आज हम अपनी नदियों के महत्व को भुला बैठे हैं। हम उनका सिर्फ दोहन ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में नदियों का प्रदूषण बेहद गंभीर रूप ले चुका है। अनेक नदियों के प्रदूषण को रोकने के प्रयास तो हो ही नहीं रहे हैं, चिंताजनक बात यह है कि गंगा और यमुना जैसी जिन नदियों को उच्चतम प्राथमिकता देकर उनमें प्रदूषण रोकने के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाए गए मगर उनका प्रदूषण आज तक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

सबसे पहले तो उद्योगों और कारखानों पर इस बात की पाबंदी लगाई जाए कि वो अपन कचरा नदियों और तालाबों में न बहाए | शहरों से निकलनेवाले कचरे को भी ठीक से परिमार्जित किये बिना पानी के स्रोतों में न बहाया जाए | खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद किया जाए व उसके बदले जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए |

जल प्रदूषण ने अब आपातकाल का रूप ले लिया है | ऐसे में हमें तत्काल कई बड़े कदमों की जरुरत है | यदि हम चाहते हैं कि हमारे देशवासियों को सुरक्षित पीने का पानी मिलता रहे और पानी के स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित रहे तो हमें आज से ही उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे | इस मामले में और देरी करना घातक सिद्ध हो सकता है |

आज भारत सरकार इन नदियों के साफ़ – सफाई के लिए कई मुहिम चला रही है. हमें भी सरकार की इस मुहिम में साथ निभाना चहिये और नदियों को स्वच्छ बनाकर एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए. हमें जन – जन तक नदीयो को बचाने का सन्देश देना चाहिए.

निबेदक
नदी अधिकार अभियान
नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया
सम्पर्क : उपेन्द्र शुक्ला - 09919541264

actionaid

मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स्, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

RIVER

Nature's gift
not
private property

Make
River
pollution free

नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए

नदी
निजी संपत्ति नहीं पकृति की देन है

Healthy
River
Healthy
Life

LET FLOOD BE NATURAL

मनुष्य कृत नहीं
प्रकृति दत्त हो
बाढ़

स्वस्थ नदी
स्वस्थ जीवन

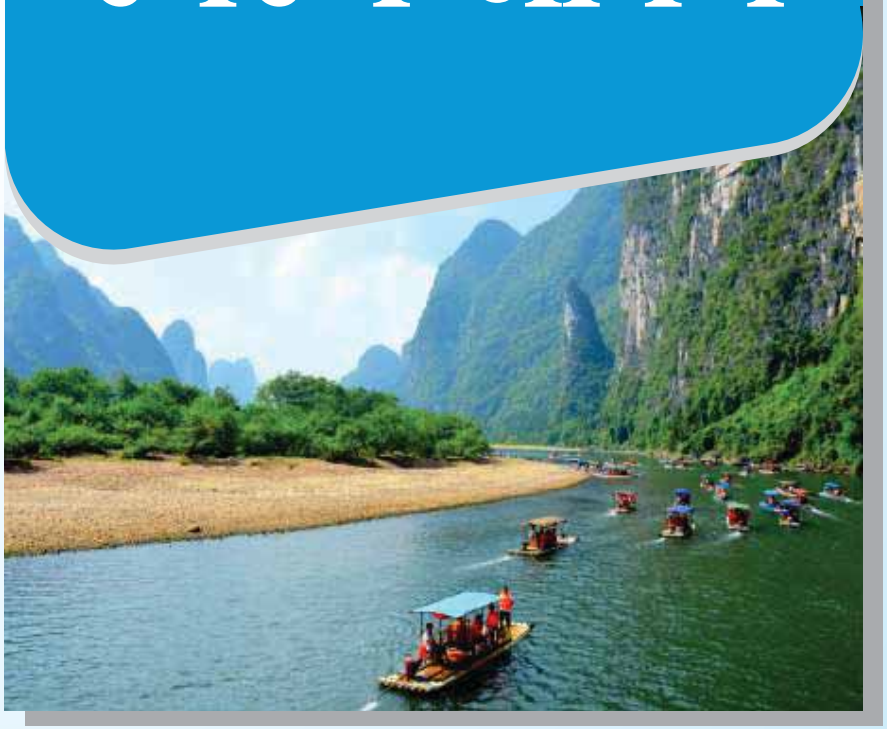

RECOGNISE

Riverbank erosion survivors as Internally Displaced People

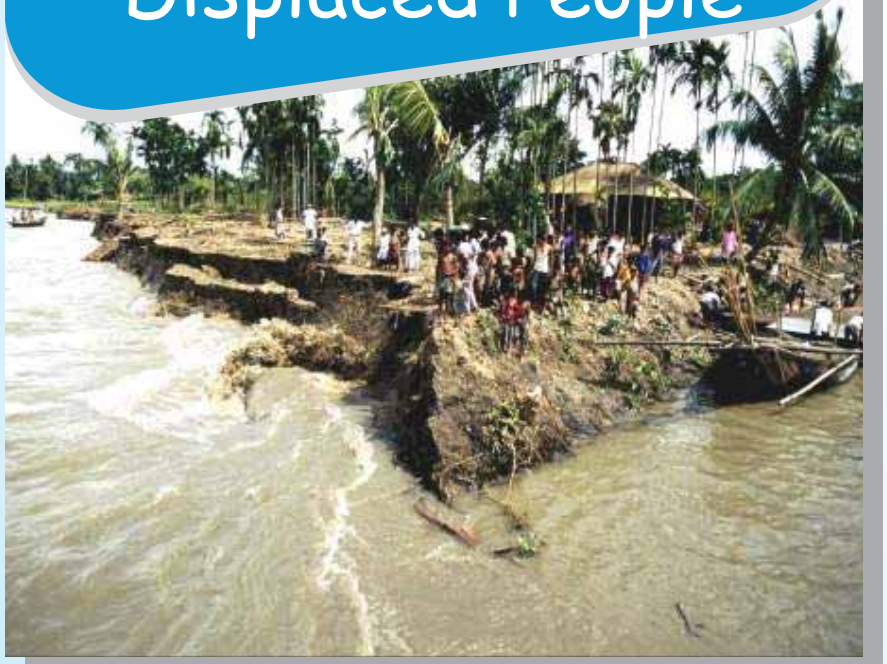

নদীর চরের জমির সামগ্রিক নীতির অভাবে নদী তীরবর্তী
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবদমান পরিস্থিতির স্রস্টি হয়
সেই জন্য দরিদ্র ও বিশেষকরে মহিলাদের জন্য নদীর চর
জমির বন্টনের জন্য একটি নীতি থাকা প্রয়োজন

নিবেদিত : নাচুরাল রিসোর্সেস নলেজ আক্তিভিস্টস হব, একসনএড আসোসিয়েসন, ইন্ডিয়া, সম্পর্ক : তরিকুল ইসলাম-09733081276, ভাস্বতী রায় চাউধুরী 09083111692, মুদ্রিত-বাবা প্রিন্টর্স, ভুবনেশ্বর.: 09337412578

नदी कटान अकसर महीलाऔ के आश्रय, न्युनतम गोपनियता, स्वच्छता, उपयोग करने के लीए उचित शौचालय, स्वास्थ्य सुबीधाऐं और सरकारी आधारिक संरचना समेत सभि तरह से और सबसे गंभीर प्रभाब डालता है।

नदी कटान से प्रभाबीतों को आन्तरीक रुप से बिस्थापीत (आइ.डी.पी) लोगों की मान्यता दीआजाय।

निबेदक : नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया, सम्पर्क :शाहफैसल हुसेन - 09721926379, 07754872306 , मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

ঘনঘন নদীর তীরে ভাঙ্গনে বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন আশ্রয় সৌচালয় ও স্বাথ্য সম্পর্কিত পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার ফলে সবচেয়ে মহিলাদেরকে সমস্যায় পদতে হয়
নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষদেরকে আভ্যন্তরিন বাসাচ্যুত মানুষ (আই.দি.পি.) বলে গন্য করা উচিত
নিবেদিত : নাচুরাল রিসোর্সেস নলেজ আন্তিভিস্‌ৎস হব, একসনএড আসোসিয়েসন, ইন্ডিয়া, সম্পর্ক : তরিকুল ইসলাম-09733081276, ভাস্বতী রায় চাউধুরী 09083111692, মুদ্রিত-বাবা প্রিন্টর্স, ভুবনেশ্বর.: 09337412578

নদী তীরবর্তী মানুষদের অধিকার তখনি নিশ্চিত হয় যখন তাদের নদীর অধিকার সুরক্ষিত হয়
উভয় পক্ষ্যের সব নদী অববাহিকায় অবস্থিত গ্রাম নদী তীরবর্তী সম্প্রদায়গুলি আন্তসীমান্ত নদীর জলের শাসন কেন্দ্রে থাকা উচিত
নিবেদিত : নাচুরাল রিসোর্সেস নলেজ আন্তিভিস্‌ৎস হব, একসনএড আসোসিয়েসন, ... ভুবনেশ্বর.: 09337412578

स्वीकृति मिले
नदी भाँगन
बिस्थापितों को आन्तः
बिस्थापित ब्यक्ति का दर्जा

Let
River
Flow
Freely

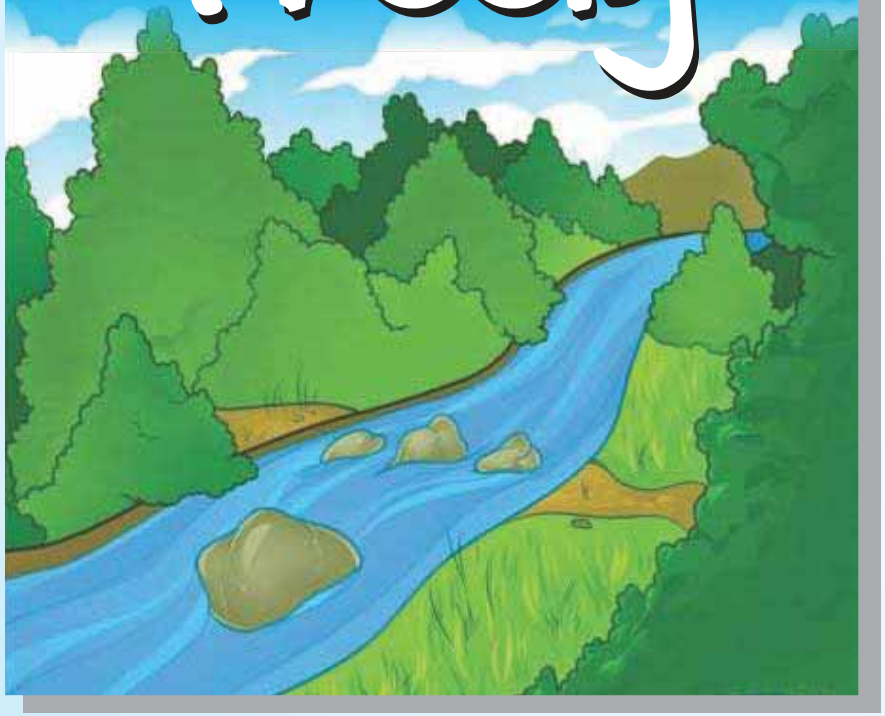

चर भुमी के प्रबन्धन सम्बन्धी व्यापक नितीयों के अभाव नदीतट समुदायों मे परस्पर बिरोधी स्थीती उत्पन्न करती है।
चर भुमी को नदी कटान से प्रभावीत गरीब भुमीहीनो और विशेष रूप से महीलाओं के नाम आवंटन करने हेतू निती गठन की आवस्यकता हैं।
निबेदक : नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया, सम्पर्क :शाहफैसल हुसेन - 09721926379, 07754872306 , मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

नदी के अधिकार की सुरक्षा ही नदी तट समुदायों की आवश्यकता और अधीकारों को सुनीश्चीत कर सकता है।
नदीतट समुदायों के द्वारा ही आन्त ः सिमान्त नदी जल का सठिक प्रवन्धन व सुशासन व्यवस्था सुनिश्चीत हो सकता है।
निबेदक : नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया, सम्पर्क :शाहफैसल हुसेन - 09721926379, 07754872306 , मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

What We want?

River water as Nectar or Poison

गंगा मैया, जो हमारी पहचान है, हमारी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक है, वह अपनी अस्मिता खो रही है, चलिए मिलकर कुछ करें .....

साथियों जैसा कि हम जानते हैं, भारत नदियों का देश है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक नदियों का एक विशाल नेटवर्क देखा जा सकता है. गंगा, यमुना, सतलुज, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र, कोसी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि अनेकों नदियों के नाम गिनाये जा सकते हैं.

इन नदियों ने न जाने कितनी तरह के उतार और चढ़ाव को देखे हैं. लेकिन आज हमारे देश की जितनी भी बड़ी-छोटी नदियाँ और जल स्रोत हैं, वे प्रदूषित हो चुके हैं. लोगों की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि जो लोग इसके विरोध में आवाज उठाते हैं, समय आने पर वही नदियों में अपने कूड़े और मलबे फेंकते हैं. गंगा नदी में उद्योग से निकलने वाला कचरा जो बड़े शहरों कानपुर, वाराणसी आदि जगहों पर नदी में छोड़ा जाता है, ने गंगा को अति प्रदूषित बना दिया है. इस तरह गंगा प्रदूषित होती जाती है । वह नदी जो हमारी पहचान है, हमारी प्राचीन सभ्यता की प्रतीक है, वह अपनी अस्मिता खो रही है । सरकार को सख्त कानून बनाकर इसे रोकना चाहिए.

आइये आज हम कुछ उपायों को अपनाकर ये प्रयास करें ता की इन नदियों के प्रदूषण को कम किया जा सकता है और हमारी इन सांकृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को स्वच्छ रखा जा सकता है.

कहा गया है कि जो व्यक्ति नदी जल या अन्य जल स्रोत में कूड़ा मलबा और अन्य हानिकारक पदार्थ फेंकते हैं, नदी में मल-मूत्र, थूक और अन्य गंदे पदार्थ का त्याग करते हैं; ऐसे व्यक्ति का सारा दान- पुण्य, धर्म-कर्म नष्ट हो जाता है. इसलिए आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी नदियों में ये वर्जित कार्य नहीं करना चाहिए और इसके विकल्प के रूप में घर के आस-पास गड्ढे बनाकर उसमें फेंकना चाहिए या सामूहिक प्रयास से इस समस्या का हल ढूँढना चाहिए.

किसी भी तरह के पूजा- पाठ, पर्व-त्यौहार गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, दीपावली के बाद नदी में प्रदूषण का स्तर दो दिनों में बहुत बढ़ जाता है. क्योंकि लोग पर्व- त्यौहार की समाप्ति के बाद नदियों में इसे प्रवाहित करते हैं, इसे शुभ भी माना जाता है. लेकिन अब इस परंपरा को बदलने की जरुरत है.

सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति जबतक यह नहीं सोचेगा कि देश की नदियों को साफ़ रखा उसकी जिम्मेदारी है, तबतक नदी या जल स्रोत साफ़ नहीं होंगे. इसलिए हर भारतीय को यह संकल्प लेना होगा कि हमारी नदियाँ हमारी पहचान हैं, हम इसे किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं करेंगे.

माननीय न्यायालय ने गंगा नदी को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है. इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति इसे गन्दा करता है तो वह एक व्यक्ति को चोट पहुंचता है या उसके जान को खतरे में डालता है. इसलिए ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के अनुसारदण्डित किया जा सकता है.

आइये हम सब संकल्प लें कि हम अपनी नदियों को बचाएं और इसे अपने राष्ट्रीय धरोहर की तरह संभाल कर रखे.

निवेदक

नदी अधिकार अभियान

नेचुरल रिसोर्सेज नॉलेज एक्टिविस्ट हब, एक्शनऐड एसोसिएशन, इंडिया

सम्पर्क : उपेन्द्र शुक्ला - 09919541264

actionaid

मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दूरभाष : 9337412578

नदियों को बचाकर रखिये,
प्रकृति की रक्षा कीजिये.

नदी है तो पानी है,
पानी है तो जीवन है.

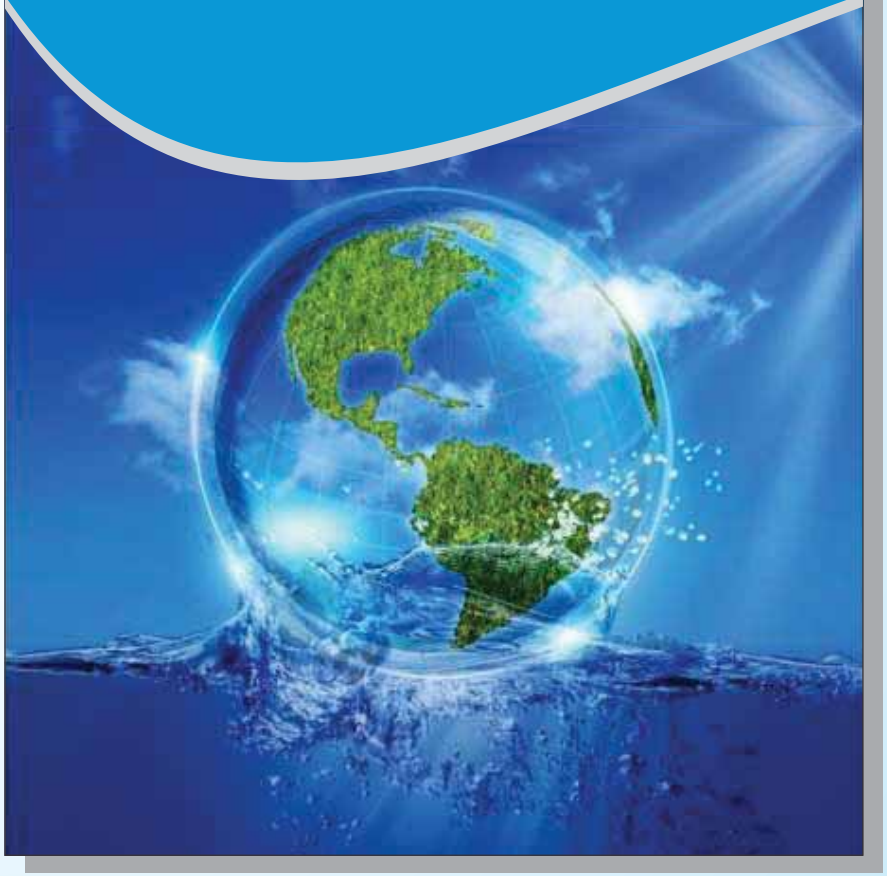

সমুদায় ভিত্তিক প্রাক্ সতর্কতা ব্যবস্থা

প্রাক্ সতর্কতা ব্যবস্থা হল সেই ব্যবস্থা যা সঠিক সময়ে, কার্য্যকরী তথ্য প্রদানে সহায়তা করে। যা প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কে বিপদ সমূহের অন্বষনে, সঠিক ব্যবস্থা গ্রহনে ও ঝুঁকি এড়াতে এবং কার্য্যকর ভাবে সাড়া দিতে সহায়তা করে।

কি ভাবে এই ব্যবস্থা সহায়তা করে

বিপদ সমূহকে অনুধাবন, সময়ের পূর্বানুমান ও অনুধাবন, কোনো ঘটনার ব্যপকতা কতটা জেনে, বিপদ সঙ্কুল লোকেদের জানান দিয়ে এবং প্রক্রিয়াকে সাড়া দিতে এবং প্রস্তুতি মূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।

প্রাক্-সতর্কতা ব্যবস্থার উপাদান সমূহ

- ঘটনার ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি কতটা হবে তা পূর্বানুমান ও অনুধাবন করার ক্ষমতা অবশ্যইপর্য্যবেক্ষণকারী দলের থাকা দরকার।
- নিরসন কার্য্য করার জন্য পরিকল্পনা করতে সঠিক সময়ে এই তথ্যাদি অবশ্যই অবগত করানো দরকার।
- নদীবাঁধ পরিচালন, আবহাওয়ার পূর্বানুমান, নদীবাঁধ ধসের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান, নদীর স্তর, বৃষ্টিপাত, সর্বাধিক বিপদ সঙ্কুল পরিবার, সাহায্যের পামান্ন। যে প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য যাওয়া যেতে পারে। নিরসন কার্য্য করার জন্য নিরাপদ স্থান, খাদ্য/জলের মজুত এবং শৌচ কর্মের স্থান বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

জনগণ কেন্দ্রীক প্রাক্-সতর্কতা ব্যবস্থা

1. ঝুঁকি বিষয়ক জ্ঞান

- এলাকা সম্বন্ধীয় ঝুঁকির বিশ্লেষন ও তদানুসারে পরিকল্পনা করা।
- পর্যবেক্ষণ করা হল প্রাথমিক তথ্যাদি সমেত প্রস্তুত।
- অন্যান্য বহ্যিক উৎসের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

2. তদারকি ও সতর্কতা সেবা

- পর্যবেক্ষণকরী দল সতর্কতা বিষয়ক তথ্যের সঠিক ভিত্তি অবশ্যই যাচাই করবেন।
- মানুষকে অপদস্থ করার জন্য গুজব মাত্র নয়, তা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।
- সতর্কতা বার্তা সঠিক সময়ে বহুল মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার।

3. তথ্য জানানো ও তথ্যের আদান প্রদান

- স্থানীয় উপায়ে তথ্যের আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন।
- তথ্য প্রথমে যারা সবথেকে বেশী বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় আছে তত্রাদের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- তথ্য সুস্পষ্ট ও ব্যবহার যোগ্য হওয়া দরকার।

4. সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা

- ঝুঁকি পূর্ণ অবস্থায় আছে এমন লোকেরা প্রাক্ সতর্কবার্তায় সাড়া দিচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
- জনগণের সতর্কবার্তায় প্রতিক্রিয়া করা ও সদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

প্রাক্-সতর্কতা ব্যবস্থা

- সতর্কতা বার্তা, অবিলম্বে মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে আসা প্রয়োজন।
- প্রতিঘন্টায় সতর্কতা বার্তা আসা প্রয়োজন।
- প্রাক্ সতর্কবার্তা পালিয়ে বাঁচতে সময়দেয়।
- সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ মহিলা, শিশু, যুবক-যুবতী ও বয়স্কদের কাছে খবর আসা প্রয়োজন।
- দেশীয় জ্ঞানের প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন।
- প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান সম্মত তথ্য।
- পর্যবেক্ষণকারী দলের নজরদারী ও কার্য্যে লিপ্ত থাকা প্রয়োজন।

প্রস্তুতি

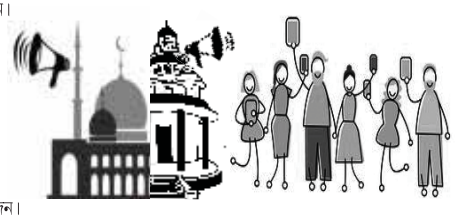

নিবেদিত : **নদী অধিকার অভিযান,** সম্পর্ক- তরিকুল ইসলাম-09733081276, ভাস্বতী রায় চাউধুরী 09083111692,

মুদ্রিত-বাবা প্রিন্টর্স, ভুবনেশ্বর.: 09337412578

सामुदायीक ज्ञान आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, उचित समयपर बिभिन्न संस्थानो कि पहचान के माध्यम से प्रभावि जानकारी एकत्रीत करने का प्रक्रीया है, जो व्यक्ती को अपने संकट से बचने या कम करने और प्रभावी प्रतिक्रीया के लीए तैयारी करने के लीए अवसर देता है।

यह प्रणाली कैसे मदद करती है

हम खतरों के प्रभाब को कम कर सकते है - पहले हम खतरों को समझे, एक घटना का पुर्बानुमान, समय और तिव्रता का अनुमान लगाऐं, कमजोर लोगों और प्रतिक्रिया तन्त्रों से सम्पर्क करें और उस से आधारीत एक योजना तैयार करें।

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली की क्रीयाविधी

- समुह को आपदा की भविष्यवाणी करने और उसकी तिव्रता और बिस्तार का अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहीए।
- इस जानकारी को समय पर सुचित करते हुए प्रभावितों को स्थानान्तरण करने की योजना कीया जाना चाहीए।
- बैराज के संचालन, नदीयों के स्तर, बारीश, मौसम पूर्वानुमान, नदी कटान का सबसे कमजोर जगह, बाढ प्रभावीत इलाके, सबसे कमजोर परीवार, सहायता करने के लिए निर्द्धारीत समुह, तत्काल मदद करने योग्य संस्थानो, स्थानान्तरण करने के लीए सूरक्षीत स्थान, भोजन/पानी का स्टॉक और स्वच्छता के लीए जगह का चिह्नीत होना चाहीए।

सामुदायीक ज्ञान आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली

1. संकट की जानकारी

- अपने क्षेत्र से संम्बधीत संकटो का विश्लेषण करें और तदनूसार योजना बनाऐं
- निरीक्षण दल पहले प्रत्यक्ष सुचना को एकत्रीत करें।
- अन्य वाह्य सुचना प्रदानकारी संस्थाओं के वारे में जानकारी ले।

2. निगरानी और चेतावनी कार्य

- निरीक्षण दल चेतावनी जानकारी की प्रामाणीकता की जांच करे।
- सुनिश्चित करें की यह साधारण चर्चा या अफवाह नहिँ है।
- चेतावनी समयोचीत और सभी लोगों के पास व्यापक रूपसे पहुँचनी चाहीए।

3. प्रसार और सुचना

- स्थानीय रूपसे उपलब्ध तरीकों से सुचना प्रसारीत करना चाहीए।
- इसे अधीक कमजोर लोगों तक पंहूचना चाहीए।
- यह स्पष्ट और प्रयोग करने योग्य होना चाहीए।

4. संकट को सामना करने की क्षमता

- प्रारम्भीक चेतावनीयों के प्रति संकट ग्रस्त लोगों का प्रतिक्रीया को निरीक्षण करना चाहीए।
- लोगों को चेतावनी पर प्रतिक्रीया के साथ प्रस्तुत होने की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली

- सूचना संकट से पहले और शिघ्र पहुंचाने की आवश्यकता है।
- यह हर घर तक पहुंचना चाहीए।
- स्थानान्तरण प्रक्रीया को त्वरान्वीत करने में पूर्व सूचना का अहम भूमीका है।
- सूचना कमजोर व जरुरतमन्द तक पहुंचना चाहीए - महीला, बच्चे, दिव्यांग और बूजूर्ग।
- पारम्परीक ज्ञान कौशल का इस्तेमाल करना चाहीए।
- आधूनिक तथा वोज्ञानीक डाटा का वीश्लेषण करना चाहीए।
- निरीक्षण दल कार्य पर हौ ये सूनीश्चीत करना चाहीए।

निबेदक : **नदी अधीकार अभीयान** , सम्पर्क : शाहफैसल हुसेन, उपेन्द्र शुक्ला, Cell : 09721926379, 07754872306

मुद्रण : वावा प्रिण्टर्स, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

We Survive
if River
Survives

Pollution free
River
Protect Future

प्रदूषण मुक्त नदियाँ एक सुनहरी भविष्य का वादा

हम बचेंगे जब नदी बचेगी

River

Our Cultural Identity

अबिरल धारा, निर्मल धारा
धरती रहे हरा भरा

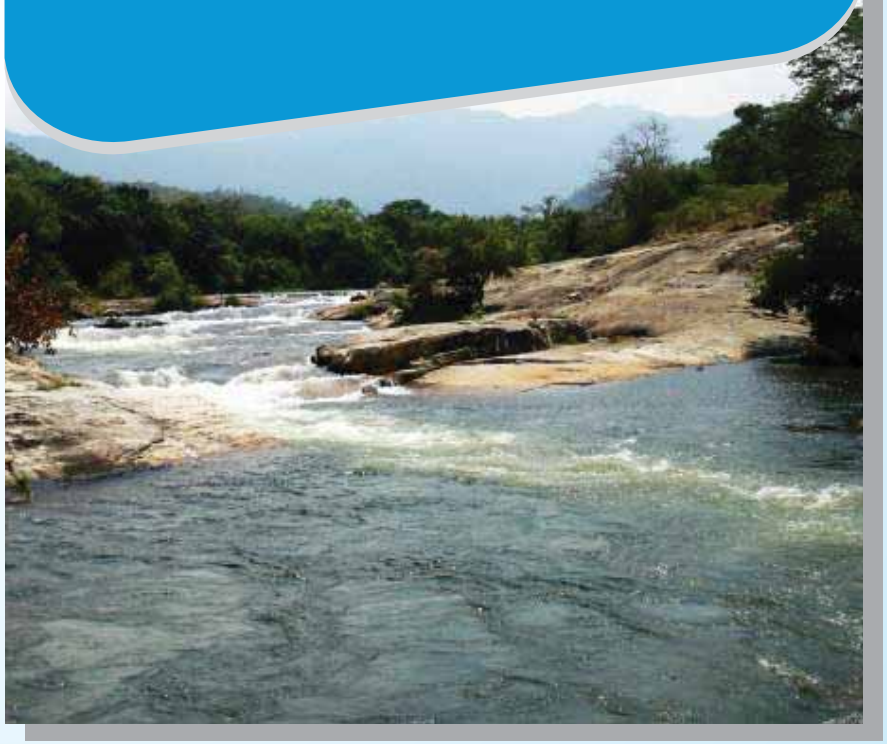

छोड़ दो करना अब से पाप,
नदियों को करो अब साफ़.

नदी
हमारी संस्कृति और सभ्यता का पहचान

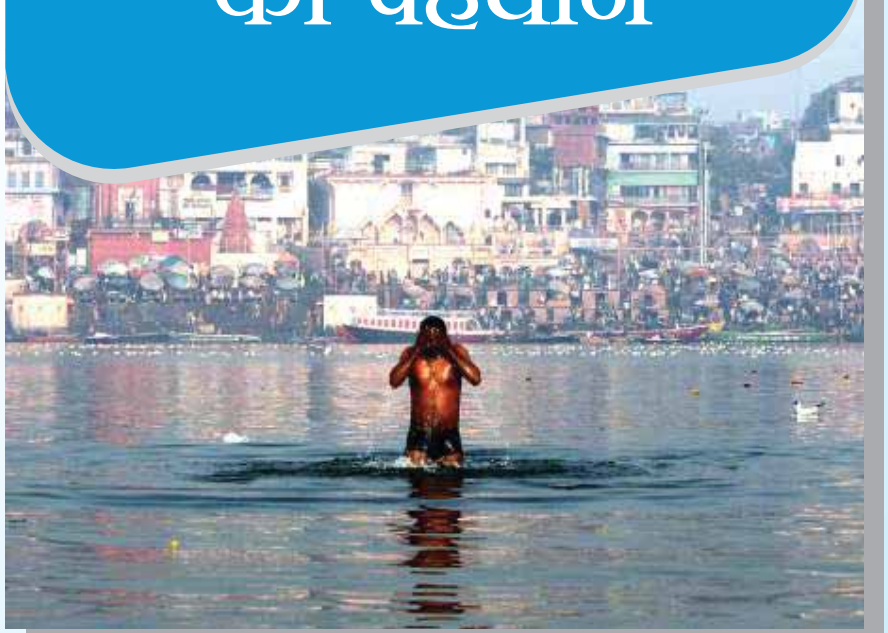

अपने अंदर यह जोश भरो,
नदियों को अब साफ़ करो.

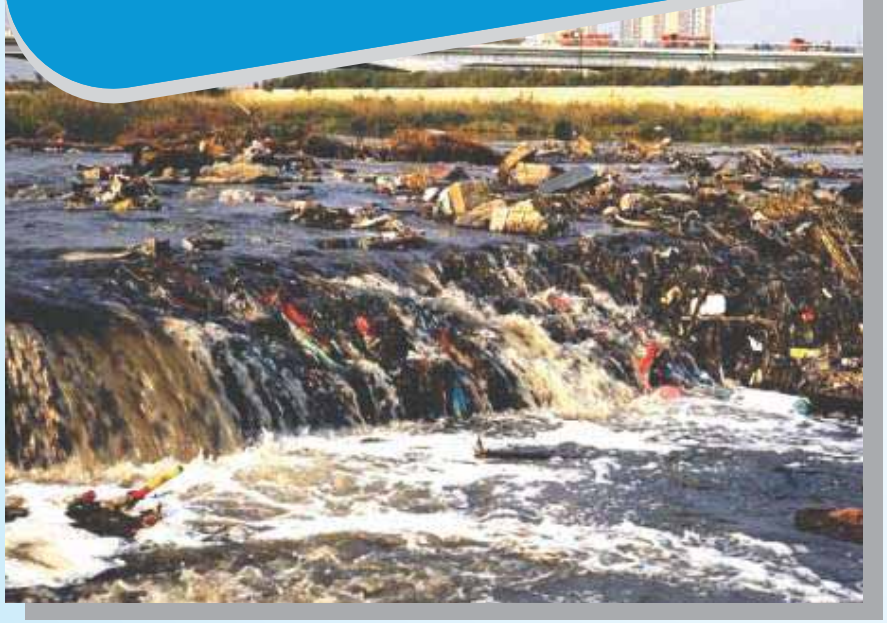

नदी से है पानी की आस,
नदी बचाने का करो प्रयास.

बिना नदी जीवन बदहाली,
नदी से आती है हरियाली.

बूंद, बूंद से भरती है नदियाँ,
नदियों से बनता है सागर.

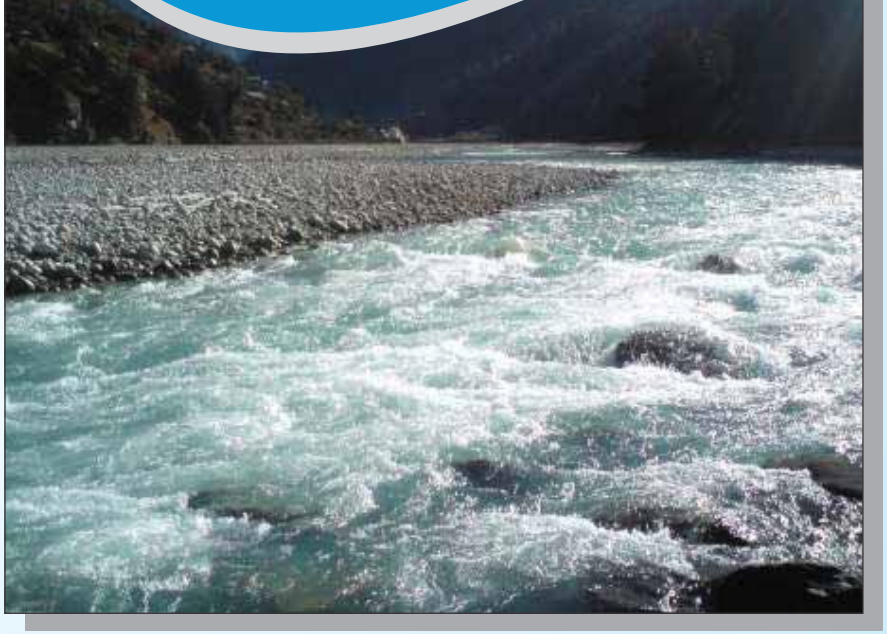

नदी तो है असली सोना,
इसे नहीं अब हमको खोना.

भविष्य को सुरक्षित बनाओ,
चलो नदियों को बचाओ.

नदियों का हमेशा करो मान,
तभी बनेगा अपना देश महान.

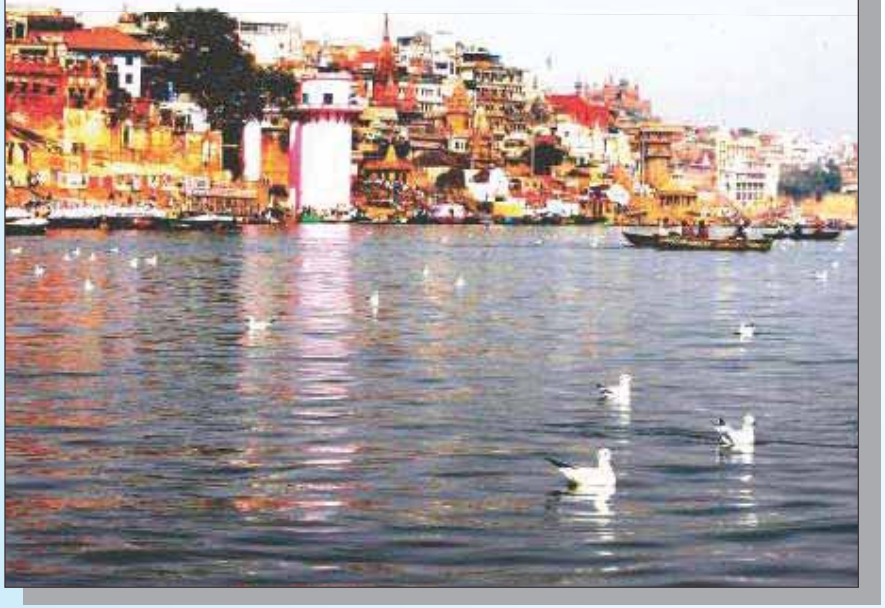

नदियों को न करो गंदा,
चौपट हो जायेगा वरना धंधा.

जब नदियाँ रहेंगी तभी तो
हमारी कल की ज़िन्दगी रहेगी.

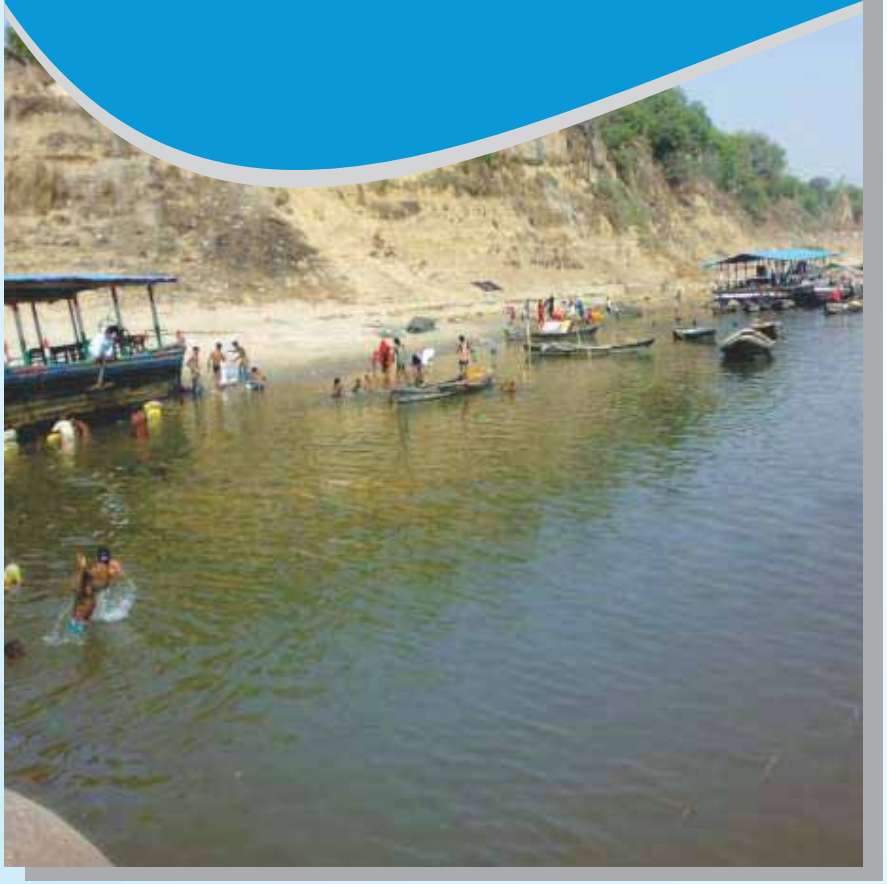

जब नदियों को बचाओगे
तभी समझदार कहलाओगे

स्वच्छ रहेगा देश तभी
जब होगी स्वच्छ नदियाँ.

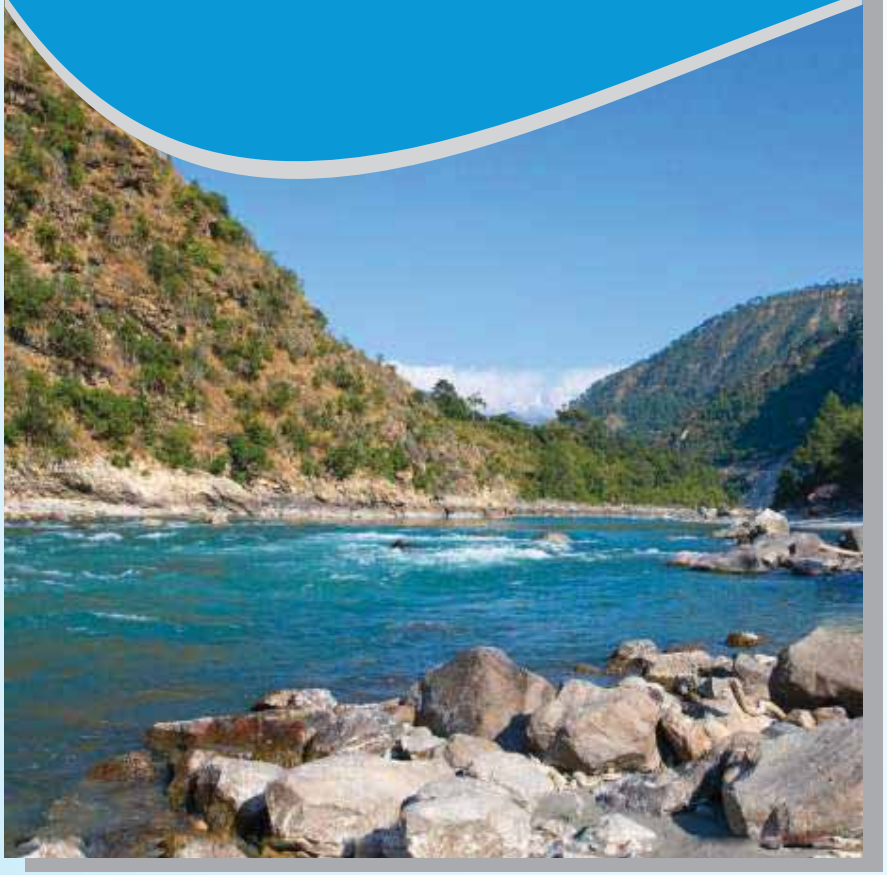

गंदे हो गये सारे नदी
और नाले,
अब बनो इनके रखवाले

सीमा पार नदी सुशासन - हमारा अधीकार और दायीत्व

क्या हम नदी को सीमा मे बान्ध रहे हे ? हाँ, मगर इसे तो वहना है अपनी उद्गम से लेकर अन्तीम पडाव तक और रस्ते मे समग्र जिव जगत और सभ्यताओँ को परीपृष्ट करते हुए, जहाँ वो सागर मे मिलजाए। मगर हम लोगो ने नदी को एक संपदा के हीसाब से सीमाओ मे बान्ध रखा है। और इस प्रक्रीया मे हम पूरी तरह भूलगये - नदी की अपनी बहने का अधीकार, उसके उपर तटीय समूदायों का अधीकार और उसके उपर निर्भर समग्र जीव जंतुओँ के अधिकार । भारत और नेपाल के बीच में ये नदीयाँ संपुर्ण्ण जल व्यवस्था, जल बहाव की धारा, छोटे जलाशय को ऋधीमन्त करती हे। इसी क्षेत्र के करोडो लोग अपने जीवन और आजीविका के लीए इसी नदी तट पर निर्भर करते है।

गंडक नदी पर भारत और नेपाल का सम्बंध

नेपाल और भारत में नारायणी नदी बहती है जीसे भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है, जो की वीशाल गंगा नदी क्षेत्र का एक हिस्सा है। नारायणी नदी नेपाल के हिमालय से अपनी यात्रा सुरू करते हुए प्रचण्ड और सोनहा नदी के साथ सम्मीलीत होकर त्रीवेणी जी के संगम के साथ भारत के क्षेत्र मे प्रवेश करती है। तत् पश्चात उतर प्रदेश मे व गंडक के नाम से पहचाना जाता है। नदी की सुशासन के उपर लोगों के निर्भरता को मदे नजर रखते हुए उनके भागीदारी को सुनीश्चीत करना जरूरी है। मगर हमेशा की तरह समूदायो को इस मसले पर नजर अंदाज करदीया जाता है।

गंडक समझौता की तहत नदी जल का आवण्टन

दिसम्बर 4, 1959 को गंडक नदी पर भारत और नेपाल के बिच मे एक समझौता स्वाक्षर कीया गया था जिसमे भारत सरकार दोनो देश की सिंचाइ के लीए बैराज बनाने का सहमती हुआ था। यह चुक्ती अप्रेल 30, 1964 को पूनर्वलोकन करके सिंचाई और बिजली उत्पादन परीयोजना के लिए तय हुआ। गंडक के उपर बैराज 1968 को तैयार हुआ। इस बैराज का पुर्वी हिस्सा विहार के पश्चीम चम्पारण के वाल्मीक नगर मे है और पश्चीमी हीस्सा नेपाल और उत्तर प्रदेश के सीमा पर त्रीवेणी जी मे अवस्थीत है। यद्यपी यह परीयोजना नेपाल मे है इसका संपुर्ण्ण देखरेख तथा प्रभूत्व भारत के नाम हे।

	भारत का हीस्सा	नेपाल का हीस्सा
सिंचाइ	विहार - 14480 लाख हेक्टर यु.पी - 3363 लाख हेक्टर	पश्चिम केनाल - 40000 एकड पूर्व केनाल - 103500 एकड
जलविद्युत	नेपाल की सीमा मे पश्चिम केनाल पर 15000 K.W. का पावार हाउस निर्माण भारत करने को राजी है।	भारत सरकार नेपाल सरकार को विजली आवण्टन करेगा (रकसोल को मिलाते हुए) सर्वाधीक 10000 K.W. से 60% लोड फ्याक्टर पर्यन्त और पावार फ्याक्टर 0.85% के निचे ना हो।
नदी तटीय अधीकारों का सुरक्षा	कूछ नहिँ	जरुरत पडने पर सिंचाई या अन्य किसी कारण के लीए नदी पर या उसके शाखा नदीओ पर नेपाल सरकार का अधीकार रहेगा

सोर्स : गंडक एग्रीमेण्ट 1964

सीमापार नदी की सुशासन पर राज्य की भुमीका

भारत मे नदी की शासन व्यवस्था अनेको विभाग, संस्था, अनुष्ठान तथा प्राधिकरण में विकेन्दीत रुप से वटा हुआ है। यह नदी के सूशासन में और भी अडचन पैदा करती है। भारत और नेपाल के साझा नदीयों के जल संपदा का प्रवन्धन भारत - नेपाल जएण्ट कमीटी अन वाटर रिसोर्शेस करता है। जिसका भारत मुख्य, जल संशाधन मंन्त्रणालय के प्रमुख सचिव है। नेपालके तरफ से जएण्ट स्टाण्डिंग टेकनीकाल कमिटी जो जे.एस्.डब्लु. आर के अधिन है। भारत और नेपाल मे वाढ नियन्त्रण, बाढ का पूर्वानुमान और जल मग्न का प्रवन्धन करते है। यू.पी और बिहार से एक कमिटी कोशी और गंडक नदी का प्रवन्धन करते है। बैराज, केनाल और बांध का रख रखाव यु.पी. और विहार के जल संसाधन विभाग के जिमेदारी है।

समूदाय के भागीदारी के वीना जल संपदा के साशन व्यवस्था का दुष्परीणाम

नदी के अधिकारो को हनन करने के समय राज्य पुरी तरह से तटीय समुदाय के अधिकार को नजर अंदाज करती है। केनाल और बांध का रखरखाव मे उपेक्षा एक वहूत बडा समस्या है। नदी तट का कटान, नालो का ना बहना, नदी बांध का बार बार टुटना समूदायों के लीए समस्या खडी करती है। बाढ और नदी तट कटान तटीय समुदायों को खतरे मे डालती है।

हम क्या कर सकते है

हमारी वीधी व्यबस्था सीमा पार नदी की सुशासन मे समुदायो की भागीदारी के लीए कोइ हक् प्रदान नहीं करती। किसी तरह का द्वन्द्व का समाधान के लीए जो समुदाय भुक्त भोगी है उनका भागीदारी होना जरूरी है। वर्त्तमान की स्थीती मे लोगो को परीणाम झेलने के सिवा और कोइ उपाय नहीं है। अभी की स्थीती मे जल आवण्टन का व्यवस्था संपुर्ण्ण रूपसे जल संसाधन के जटीलता मे फसा है। नदी पार समूदायो का आपस मे बात चित और संपर्क को प्रोत्साहीत करने की जरूरत है जिस से समुदाय की स्तर पर एक मजवुत सुरक्षा का संपर्क स्थापीत होगा।

नदी जल प्रवन्धन के मूद्दो पर काम करते समय लोगो के पारम्परीक ज्ञान को समझना और प्राधान्य देने का जरूरत हे।

महीलाओं के भूमीका, पानी का संरक्षण, घर पर उसका उपयोग, और उसको लाने मे अहम भूमीका रही है। उनके अनुभव, समस्या और ज्ञान को जल नीती वनाते समय अग्राधीकार देने की जरूरत है।

जल संसाधन को लेकर जो भी निर्ण्णय या सम्झौता हो उसमे समुदायों को पुर्व से सूचित करते हुए पहले से ही उनका मूक्त रुप से सहमती लीया जाऐ।

सारे निर्ण्णय और सम्झोता स्थानीय भाषा और पारंम्परीक तरीके से लोगो के साथ साझा कीया जाना चाहीए।

निवेदक
नदी अधीकार अभीयान
सम्पर्क : शाहफैसल हुसेन, उपेन्द्र शुक्ला
Cell : 09721926379, 07754872306

मुद्रण : बाबा प्रिण्टर्स्, भुवनेश्वर, दुरभाष : 9337412578

দুই সীমান্ত বরাবর নদী শাসন আমাদের অধিকার ও দায় দায়িত্ব

নদী সমূহকে কি আমরা সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি। নদী তীরবর্তী আধিবাসীদের নদীর জল বিষয়ে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহনের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যদিও চিরাচরিত ভাবে নদীর জল ব্যবস্থপনা পরিচালনা ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহন সর্বদাই অনুউপস্থিত। প্রয়োজন রয়েছে গঙ্গা নদী যা বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত সেই গঙ্গানদীর অংশভাগ প্রতিষ্ঠা করা। ভারতবর্ষে গঙ্গা নদী হিমালয় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা বিভিন্ন শাখানদীর মাধ্যমে প্রবাহিত এবং বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গঙ্গা নদীর প্রবেশ পথ হল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা।

গঙ্গা সন্ধিপত্রে মাধ্যমে নদীর জল শাসন প্রক্রিয়া।

ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সম্পদ বন্টনের সংযোগ রক্ষার্থে ইন্দো-বাংলাদেশ নদী কমিশন ১৯৭২ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। উদ্দেশ্য হল উভয় দেশের সাধারন নদী ব্যবস্থা থেকে সর্বাধিক লাভ পেতে একটি সর্বাধিক যৌথ কার্যকরী প্রচেষ্টাকে সুনিশ্চিত করা। এই নদী কমিশন উভয় দেশের জল সম্পদ মন্ত্রীদ্বয়ের দ্বারা পরিচালিত। গঙ্গা সন্ধি স্বাক্ষরীত হয় ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর। এটা ছিল দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ মেটাবার একটি প্রাথমিক ধাপ। সন্ধির মেয়াদ হল ৩০ বছরের জন্য এবং যা দুটি দেশের পরস্পরিক সম্মতি প্রদানের দ্বারা পুনঃ নবীকরণ করা হবে। সন্ধির রূপায়ন ঠিকঠাক ভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য একটি যৌথ কমিটিও স্থাপনা করা হয়েছে। এই শর্তে যে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই মার্চ ১১ থেকে মে ১০ এই সময়কালের মধ্যে প্রতি দশ দিন অন্তর ৩ বার পালা করে সুনিশ্চিত ভাবে ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক জল পাবে। সন্ধি অনুযায়ী জল বন্টন করা হইয়াছে।

১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী জল বন্টন।

ফারাক্কা ব্যারেজে জল প্রবাহ	ভারতে অংশ ভাগ	বাংলাদেশের অংশ ভাগ
৭৫,০০০ হাজার কিউসেক	৪০,০০০ হাজার কিউসেক	জল প্রবাহ সমতা
৭০,০০০ হাজার থেকে	প্রবাহ সমতা	৩৫,০০০ হাজার কিউসেক
৭৫,০০০ হাজার কিউসেক	শতকরা ৫০ শতাংশ	শতকরা ৫০ শতাংশ
৫০,০০০ হাজার থেকে		
৭০,০০০ হাজার কিউসেক	জরুরী ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের জন্য উ	
৫০,০০০ হাজার কিউসেক	ভয় দেশই অবিলম্বে আলাপ -	
	আলোচনা করবে	

দুই সীমান্ত বরাবর জল শাসন প্রক্রিয়ায় রাজ্যের ভূমিকা

ভারতবর্ষে জল বিষয়ক মুদ্দা শাসন প্রক্রিয়া বৃহদায়তন সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত ও খন্ডিত হয়েছে। এটি অতিরিক্ত আরও একধাপ রাজনীতির সংযোজন ঘটিয়েছে। দুই সীমান্তবর্তী জল সম্পদ শাসন প্রক্রিয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের জল সম্পদের অংশভাগ উন্নয়ন বিষয়টি ইন্দো-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের আওতাধীন। কোনো বিরোধ অসমাধিত রয়ে গেলে তা সমাধান করার কোনো কার্যকরী প্রক্রিয়া নেই। এই প্রক্রিয়াতে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। রাজ্য সরকারের (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল সম্পদ বিভাগ ও সেচ বিভাগ) ভূমিকা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ রয়েছে। গঙ্গানদীর উপর বিভিন্ন প্রকল্পে নির্মিত নদীবাঁধ সমূহ, খাল ও নদী বাঁধের রক্ষনাবেক্ষণ করার কাজেই সীমাবদ্ধ। জীবন জীবিকার উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্রতা হ্রাস এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের কার্যকরীর উপায় অবলম্বনের জন্য স্থায়ী উন্নয়ন ও দুই সীমান্তবর্তী জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাধার সৃষ্টি করছে আঞ্চলিক সহযোগিতার অভাব এবং স্থানীয় ও প্রদেশিক উপলব্ধির অনুপস্থিতি।

নদীর জল শাসন পক্রিয়ায় সর্বাঙ্গীন অন্তভূক্তি না হওয়ার পরিনাম

রাজ্য নদী তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর নদীর অধিকার সমূহকে বিপন্ন করার মাধ্যমে তার অন্তরদৃষ্টি কে উপেক্ষা করছে। জল ও নদী বাঁধ রক্ষনাবেক্ষনে অবহেলা একটি বড় সমস্যা।

নর্দমা যেগুলির পলি অপসারণ করে এবং নদীর সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলি পার্সক্ষয় ভূমিক্ষয়ের আবর্জনা নিস্কাশনের উপায় সেগুলি বুজে যাওয়ার দরুন দুই সীমানা বরাবর বাসকরা জনগোষ্ঠীর সমস্যা তৈরি করেছে। বন্যা ও নদী বাঁধের ধসের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের কাছে।

আমরা কি করতে পারি

বিদ্যমান আইন কাঠামো দুই সীমান্তবর্তী নদীর জল শাসন প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহনের কোনো সুযোগইদেয় না। পারস্পরিক দ্বন্দ মেটাতে আলাপ আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটানো একান্তভাবে আবশ্যিক। তাতে সামিল করা দরকার তাদের যাদের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে এক গুরুত্ব পূর্ণ স্বার্থ জড়িয়ে আছে। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ত্রুটিপূর্ণ শাসন পদ্ধতির রয়েছে। পরিনামের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া লোকেদের আর কোনো ভূমিকা নেই। বর্তমানে এতদ অঞ্চলে জল ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় জটিল খন্ডিত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর দ্বারা এবং যাদের শাসন প্রনালীও দুর্বল এবং যাদের সুসংহত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা মডেল অবলম্বনে রয়েছে অদক্ষ্যতা।

দুই সীমানাবর্তী জনগোষ্ঠীর জলকে ঘিড়ে সাধারন মানুষের সুস্থ সম্পর্ক এবং সহযোগীতার জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক আলাপ আলোচনার পথকে সহজতর করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। যাতে বর্তমান দুই সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের বিষয়টি শক্তিশালী করাযায়। এই ধরনের যোগসূত্রতা লোকেদের বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে এবং বলিষ্ঠ সমুদয় ভিত্তিক নিরাপত্তার জাল গঠন সুনিশ্চিত করবে।

জলশাসন পদ্ধতির বিষযে লোকেদের গতানুগতিক জ্ঞানকে অবশ্যই বোঝা দরকার এবং যখন নদীর জল ব্যবস্থপানার পরিকল্পনা সমূহ তৈরী হবে তাতে তাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

ফারাক্কা বাঁধ ব্যবস্থাপনায় ক্ষয়জনিত কারন পীড়ার সংযোজন ঘটিয়েছে এবং সংস্যার প্রতিবিধান হওয়া দরকার। বাঁধ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে উপযুক্ত ওকালতির মাধ্যমে।

নদী বাঁদের ক্ষয়ের দরুন স্থানচ্যুতি ঘটে তা লোকেদের অভন্তিরন স্থানচ্যুতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। এবং দরকার প্রয়োজনীয় সাহায্যের। আর দরকার সঠিক সময়ে উপযুক্ত পুনঃবাসন সুনিশিচিত করা।

গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহার্য্য জলসংগ্রহ ও মজুত করার ক্ষেত্রে মহিলারা এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই কারনে তাদের মূখ্য সুবিধা ভোগী হিসাবে গণ্যকরা দরকার। নদী সংক্রান্ত নীতি এবং জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ্ণতা, অভিজ্ঞতা এবং অসুবিধাগুলিকে একটি মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গণ্যকরা আবশ্যিক।

কোনো সন্ধি অথবা দুই-দেশের মধ্যে সমঝোতা যা নদীর জলপ্রবাহ এবং নিরভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব ফেলে এমন ধরনের দুই-দেশের মধ্যে কোনো সংঝোতাতে এগিয়ে যাওয়ার আগে মুক্ত, অগ্রিম মতামতের মাধ্যমে লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার। চুক্তি তৈরীর পূর্বে অবশ্যই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন।

স্থানীয় ভাষায় এবং গতানুগতিক উপায়ে সমস্ত চুক্তি সমূহ/সিদ্ধান্ত সমূহের অবশ্যই আদান প্রদান হওয়া জরুরী।

নিবেদিত : **নদী অধকার অভযিান**

সম্পর্ক- তরিকুল ইসলাম-09733081276
ভাস্বতী রায় চাউধুরী 09083111692

মুদ্রিত-বাবা প্রিন্টার্স, ভুবনেশ্বর.: 09337412578

actionaid

www.actionaid.org/india

actionaidindia

ActionAid Association
R-7, Hauz Khas Enclave
New Delhi - 110016
Phone : 91-11-4064 0500